कच्ची शराब व चाकू के साथ 6 गिरफ्तार

श्रावस्ती 21 जनवरी (मि0टा0सं0)। थाना हरदत्त नगर गिरंट पुलिस ने कादिर खा पुत्र हनीफ खा निवासी महदेवा सलारपुर थाना हरदत्त नगर गिरंट जनपद श्रावस्ती को 1 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना हरदत्त नगर गिरंट पर 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना सिरसिया पुलिस ने अभियुक्त रामतीरथ पुत्र रघुनाथ उर्फ छोटे निवासी तालभगोडा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को 01 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर थाना सिरसिया पर 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

थाना मल्हीपुर पुलिस ने अभियुक्त विरूप्रसाद पुत्र आशाराम निवासी मल्ही गांव थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती अभियुक्त रामरूप पुत्र शिवप्रसाद नि0 नर्सरी पुरवा थाना मल्हीपुर अभियुक्त राधेश्याम उर्फ प्रधान पुत्र जोगीराम नि0 मोहनपुर थाना मल्हीपुर को 10–10 लीटर (कुल 30 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मल्हीपुर पर 60 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया।थाना हरदत्त नगर गिरंट पुलिस ने अभियुक्त बलराज सिंह पुत्र कुंवर सिंह निवासी रजपुतिया थाना हरदत्त नगर गिरंट जनपद श्रावस्ती को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना हरदत्त नगर गिरंट पर 60 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया।

जनपद श्रावस्ती के विभिन्न थानाक्षेत्रों से शांतिभंग करने के आरोप में कुल 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पाबंदी हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर बैरियर चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग गयी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न चेक पोस्टों पर वाहनों की चेकिंग की दौरान 183 वाहनों का मोटर अधिनियम से ई–चालान कर रू0 213000 का शमन किया गया।